

विवरण 7 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के अनुसार - 2006-07 (लेखा)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उच्च और विविध	विप्रेक्षण	अन्य	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय अधिशेष (-)/ घाटा (+) (को 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	38.9	-15.5	70.8	9.1	12.4	0.3	36.5	-4.5	-0.6	-27.2	-37.9	100.0
2. बिहार	-13.7	-10.3	67.4	7.5	13.1	—	28.8	-1.4	-2.1	-6.9	17.5	100.0
3. छत्तीसगढ़	289.7	-127.9	-2,239.1	-252.5	-29.4	609.8	-951.2	-98.7	-81.6	146.2	2,834.6	100.0
4. गोवा	16.6	-3.7	108.1	-1.7	12.0	-0.6	10.5	-10.0	-0.2	-3.0	-28.0	100.0
5. गुजरात	-7.9	-10.0	96.9	-0.5	5.0	5.5	14.7	8.0	-4.0	14.4	-22.2	100.0
6. हरियाणा	12.5	7.7	-93.2	-9.9	-31.0	4.1	-32.0	-32.4	1.3	6.8	266.2	100.0
7. झारखंड	4.8	-2.6	28.1	19.0	3.8	—	2.5	1.0	-0.3	35.6	8.2	100.0
8. कर्नाटक	-5.0	-1.8	52.9	4.1	14.1	25.4	38.5	5.0	11.0	-12.2	-32.0	100.0
9. केरल	46.7	-1.2	57.0	11.5	-8.0	-1.2	11.2	8.4	-0.1	-2.6	-21.6	100.0
10. मध्य प्रदेश	38.6	-11.3	74.2	18.7	5.7	11.6	28.4	2.6	0.8	-15.7	-53.7	100.0
11. महाराष्ट्र	10.1	0.8	76.5	-0.8	5.5	14.2	14.8	2.4	-11.4	0.2	-12.5	100.0
12. उड़ीसा	95.9	4.7	-125.8	-20.6	-72.6	-33.0	8.1	-3.2	9.0	38.9	198.7	100.0
13. पंजाब	16.8	-91.4	63.9	-7.1	9.2	6.1	-2.3	0.8	-0.3	-2.7	107.1	100.0
14. राजस्थान	26.8	-7.4	43.9	4.2	31.4	11.6	14.9	1.2	—	-7.5	-19.1	100.0
15. तमिलनाडु	34.7	-5.4	98.5	7.6	6.5	4.2	28.6	24.3	1.3	-72.9	-27.5	100.0
16. उत्तर प्रदेश	23.1	-18.7	60.6	0.1	28.4	30.8	18.7	23.7	4.2	1.8	-72.7	100.0
17. पश्चिम बंगाल	7.4	-2.2	68.6	-0.5	2.7	-0.2	7.8	3.4	2.1	-9.5	20.1	100.0
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	-24.2	-36.9	-28.2	-49.5	-59.2	4.1	47.1	84.3	4.4	104.4	57.9	100.0
2. असम	-83.2	-0.7	2.6	-10.0	-49.1	-10.8	17.8	-12.3	6.2	4.0	235.5	100.0
3. हिमाचल प्रदेश	50.8	-9.8	72.8	3.3	35.0	0.7	-53.1	-0.8	8.0	-33.6	26.8	100.0
4. जम्मू और कश्मीर	11.5	27.9	20.5	17.1	36.3	14.5	-19.9	2.2	—	-10.2	—	100.0
5. मणिपुर	47.2	-50.3	48.3	-0.3	13.3	-1.5	3.1	-15.8	41.6	-0.7	15.1	100.0
6. मेघालय	220.5	-35.5	28.4	22.0	48.7	—	-5.0	24.3	7.1	-16.9	-193.6	100.0
7. मिजोरम	56.7	-13.7	4.4	15.0	75.0	0.9	-66.9	7.5	-13.9	-6.9	41.9	100.0
8. नागालैंड	155.1	-10.8	9.2	22.9	-4.5	-13.3	58.9	-38.6	-49.8	18.0	-47.0	100.0
9. सिक्किम	100.6	-8.7	5.8	-13.4	16.8	-10.2	5.6	6.0	12.3	-3.9	-37.7	100.0
10. त्रिपुरा	-11.5	16.7	-110.5	15.7	-43.0	-13.9	-1.2	-20.4	-17.0	22.6	293.8	100.0
11. उत्तराखंड	36.0	-1.0	65.5	17.9	10.0	7.4	18.8	-55.5	3.9	-5.5	2.5	100.0
सभी राज्य	16.9	-11.5	72.3	5.1	13.4	9.8	16.5	6.0	-0.4	-7.1	-21.1	100.0
जापन मद :												
1. रा.रा.क्षे. दिल्ली	—	-0.1	942.7	—	—	—	—	—	—	—	-842.6	100.0
2. पुदुचेरी	—	87.9	-0.7	—	—	—	—	—	—	—	12.9	100.0

‘-’ : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिराशिष्ट सारणी 17 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर से संबंधित ‘आंतरिक ऋण की चुकौती’ के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे ‘अन्य’ में शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के ‘आंतरिक ऋण’ के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय मदें ‘अन्य’ को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. ‘अन्य’ में अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि का विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।